

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 172]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 16 जून 2010—ज्येष्ठ 26, शक 1932

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 जून 2010

क्र. 5961/डी. 139/21-अ/प्रा./छ. ग./10.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अध्यादेश जिस पर दिनांक 11-06-2010 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. पाराशर, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अध्यादेश

(क्रमांक 01 सन् 2010)

छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) अध्यादेश, 2010

छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) को और संशोधित करने हेतु अध्यादेश.

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया.

यतः राज्य विधानमण्डल का सत्र चालू नहीं है और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिसके कारण यह आवश्यक हो गया है कि वे तत्काल कार्रवाई करें.

अतएव भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :—

- | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. | 1. | (1) यह अध्यादेश छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) अध्यादेश, 2010 कहलाएगा. |
| | | (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा. |
| छत्तीसगढ़ अधिनियम क्र. 23 सन् 1973 को अस्थायी रूप से संशोधित किया जाना. | 2. | इस अध्यादेश के प्रवर्तित रहने की कालावधि के दौरान, छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है), धारा 3 से 12 में विनिर्दिष्ट संशोधनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होगा. |
| नई धारा 30-क का अंतःस्थापन. | 3. | मूल अधिनियम की धारा 30 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात् :—
30-क (1) कोई भी आवेदक अनुमोदित अभिन्यास योजना में संशोधन, परन्तु ऐसा संशोधन विकास योजना के अनुरूप हो, के लिए संचालक को ऐसी रीति में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा, जैसा कि विहित किया जाए, जो धारा 30 की उप-धारा (3) के अधीन सशर्त जारी आदेश के संसूचित किए जाने की तारीख से अनुज्ञात समयावधि के भीतर है.
(2) संचालक को आवेदन प्रस्तुत करते समय, उन समस्त कारणों जिनके लिए संशोधन चाहा गया है का उल्लेख किया जायेगा.
(3) संचालक ऐसे आवेदन के प्रस्तुत होने पर, आवेदक को सुनवाई का व्यक्तिगत अवसर देते हुए यथोचित आदेश पारित कर सकेगा. |
| धारा 31 का संशोधन. | 4. | मूल अधिनियम की धारा 31 की उप-धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—
(1) कोई भी आवेदक, जो धारा 30 के अधीन सशर्त अनुज्ञा देने वाले या अनुज्ञा देने से इंकार करने वाले या धारा 30-क के अधीन संशोधन करने वाले किसी आदेश से व्यथित हो, तो उस आदेश के संसूचित किये जाने की तारीख से तीस दिवस के भीतर अपील, ऐसे प्राधिकारी को, ऐसी रीति में तथा ऐसी फीस के साथ, प्रस्तुत कर सकेगा, जैसा कि विहित किया जाये. |
| धारा 33 का संशोधन. | 5. | मूल अधिनियम की धारा 33 में प्रथम पैरा के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—
“ऐसी प्रत्येक अनुज्ञा, जो धारा 30 या धारा 30-क या धारा 31 या धारा 32 के अधीन दी गई हो, उसके ऐसे दिये जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि तक प्रवृत्त रहेगी और उसके पश्चात् यह व्यपगत हो जायेगी” |

6. मूल अधिनियम की धारा 36 के उप-खंड (घ) के अंतिम पैरा के पश्चात् निम्नानुसार पैरा प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :— धारा 36 का संशोधन.
- “किसी भी ऐसी कार्यवाही पर जो कि धारा 37 के अधीन की जा सकती हो, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना साधारण कारावास से जिसकी अवधि छः माह तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो न्यूनतम दस हजार रुपये तक या दोनों से, और चालू रहने वाले अपराध की दशा में अतिरिक्त जुर्माने से, जो अपराध के प्रथम बार किए जाने के लिए दोषसिद्धि के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के लिए जिसके दौरान अपराध चालू रहे, एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा एवं अनाधिकृत विकास की ऐसी सम्पत्ति को राजसात् किया जा सकेगा”.
7. मूल अधिनियम की धारा 37 की उप-धारा (1) एवं खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-धारा (1) एवं खंड (क) प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :— धारा 37 का संशोधन.
- (1). जहां कोई विकास धारा 36 में उपदर्शित अनुसार कार्यान्वित किया गया हो, वहां संचालक स्वामी पर ऐसी कालावधि के भीतर जो सूचना की तामील की तारीख से एक सप्ताह से कम तथा तीन सप्ताह से अधिक न हो, जैसा कि उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, उसकी अपेक्षा करते हुए, सूचना की तामील कर सकेगा;
- (क) धारा 36 के खंड (क) या (ग) में विनिर्दिष्ट किए गए मामले में, भूमि के अवैध विकास को बंद करना एवं उस स्थान में उक्त विकास के किए जाने के पूर्व, विद्यमान अवस्था में भूमि को प्रत्यावर्तित करना;
8. मूल अधिनियम की धारा 37 की उप-धारा (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-धारा प्रतिस्थापित की जाए, अर्थात् :—
- (5) यदि वह अनुज्ञा जिसके लिए आवेदन किया गया है, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना द्वारा विहित शमन शुल्क जमा किए जाने पर स्वीकृति दी जाती है तो सूचना प्रत्याहृत हो जाएगी; किन्तु यदि स्वीकृति नहीं दी जाती है, तो सूचना प्रवृत्त रहेगी, या यदि ऐसी अनुज्ञा केवल कुछ भवनों या संकर्मों को बनाए रखे जाने के लिए या भूमि के केवल किसी भाग का उपयोग या भूमि के विकास को बनाए रखे जाने के लिए दी जाती है, तो सूचना ऐसे भवनों या संकर्मों या भूमि के ऐसे भाग के संबंध में यथास्थिति प्रत्याहृत हो जाएगी, तथा तदुपरांत ऐसे अन्य भवनों, संकर्मों या भूमि के भाग के संबंध में स्वामी से अपेक्षा की जायेगी कि वह उप-धारा (1) के अधीन सूचना में विनिर्दिष्ट कदम उठाये.
9. मूल अधिनियम की धारा 37 की उप-धारा (7) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-धारा प्रतिस्थापित की जाए, अर्थात् :—
- (7) कोई भी व्यक्ति, जो उप-धारा (6) के खंड (क) के अधीन अभियोजित किया गया हो, दोषसिद्ध होने पर, साधारण कारावास से, जिसकी अवधि छः माह तक हो सकेगी या जुर्माने से, जो न्यूनतम दस हजार रुपये तक या दोनों से, और चालू रहने वाले अपराध की दशा में अतिरिक्त जुर्माने से, जो अपराध के प्रथम बार किए जाने के लिए दोषसिद्धि के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के लिए जिसके दौरान अपराध चालू रहे, एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा.
10. मूल अधिनियम की धारा 50 की उप-धारा (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-धारा प्रतिस्थापित की जाए, धारा : का संशोधन.
- (5) जहां नगर विकास योजना, प्लानों के पुनर्गठन से संबंधित हो, वहां नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी, उप-धारा (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उप-धारा (3) के अधीन प्राप्त हुई आपत्तियों तथा सुझावों की सुनवाई करने के प्रयोजन के लिये, एक समिति गठित करेगा, जिसमें उक्त प्राधिकारी का मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा दो अन्य सदस्य होंगे, जिनमें से एक सदस्य जिला कलेक्टर का प्रतिनिधि होगा, जो डिप्टी कलेक्टर से निम्न पद का न हो तथा दूसरा सदस्य, संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा नामांकित ग्राम तथा नगर निवेश विभाग का अधिकारी होगा, जो उप संचालक से निम्न पद का न हो.

11. मूल अधिनियम की धारा 50 की उप-धारा (7) के पश्चात् निम्नलिखित उप-धारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात् :—

- (8) (एक) जहां नगर विकास योजना, प्रवर्तन में आयी है, वहां निम्नलिखित खण्डों :—
- (क) नई गलियों अथवा सड़कों का अभिन्यास, निर्माण, व्यपवर्तन, विस्तार, परिवर्तन, सुधार तथा गलियों तथा सड़कों का समापन एवं संसूचनाओं के विच्छेदन इत्यादि;
 - (ख) जल निकास, जलमल व्यवस्था सहित सतही या अधोभूमि जल निकास तथा मल वहन;
 - (ग) विद्युत व्यवस्था;
 - (घ) पेयजल आपूर्ति;

में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों हेतु नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित समस्त भूमियां, सभी प्रकार के ऋण भारों से मुक्त होकर नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकरण में पूर्णतः निहित हो जाएगी.

- (दो) उप-धारा (एक) में दी गई कोई भी बात, उस उप-धारा के अधीन समुचित प्राधिकारी में निहित होने वाली भूमि के स्वामित्व के किसी अधिकार को प्रभावित नहीं करेगी.

रायपुर, दिनांक 16 जून 2010

क्र. 5961/डी. 139/21-अ/प्रा./छ. ग./10.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) अध्यादेश, 2010 (क्रमांक 1 सन् 2010) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. पाराशर, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ORDINANCE (No. 01 of 2010)

CHHATTISGARH NAGAR TATHA GRAM NIVESH (AMENDMENT) ORDINANCE, 2010

An Ordinance further to amend the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973).

Promulgated by the Governor in the Sixty-first year of the Republic of India.

Whereas, the State Legislature is not in session and the Governor of Chhattisgarh is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh is pleased to promulgate the following Ordinance :—

- | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <p>(1) This Ordinance may be called the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh (Amendment) Ordinance, 2010.</p> <p>(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.</p> | <p>Short title and commencement.</p> |
| 2. | <p>During the period of operation of this Ordinance, the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), (hereinafter referred to as the Principal Act) shall have effect subject to the amendments specified in Sections 3 to 12.</p> | <p>Chhattisgarh Adhiniyam No. 23 of 1973 to be temporarily amended.</p> |
| 3. | <p>After section 30 of the Principal Adhiniyam, the following Section shall be inserted, namely :—</p> <p>30-A (1) Any applicant may submit an application to the director in such manner as may be prescribed for amendment in the approved layout plan provided that such amendment is in conformity with the development plan, within the permitted time period from the date of communication of the order issued conditionally under sub-section (3) of section 30.</p> <p>(2) All such reasons for which amendment is sought shall be mentioned while submitting the application to the Director.</p> <p>(3) The Director on submission of such application, may pass appropriate order after giving a reasonable opportunity of hearing to the applicant.</p> | <p>Insertion of new section 30-A.</p> |
| 4. | <p>For sub-section (1) of section 31 of the Principal Adhiniyam, the following shall be substituted, namely :—</p> <p>(1) Any applicant aggrieved by an order granting permission on condition or refusing permission under section 30 or amendment under section 30-A may, within thirty days of the date of communication of the order to him, prefer an appeal to such authority, in such manner and accompanied by such fees as may be prescribed.</p> | <p>Amendment of section 31.</p> |
| 5. | <p>In section 33 of the Principal Adhiniyam, for the first paragraph, the following shall be substituted, namely :—</p> <p>“Every permission granted under section 30 or section 30-A or section 31 or section 32 shall remain in force for a period of one year from the date of such grant and thereafter it shall lapse.”</p> | <p>Amendment of section 33.</p> |
| 6. | <p>After sub clause (d) of section 36 of the Principal Adhiniyam, the last paragraph shall be substituted by the para as follows, namely :—</p> <p>“shall without prejudice to any action that may be taken under section-37, be punished with simple imprisonment for a term which may extend to six months or with fine of minimum ten thousand rupees or with both, and in the case of a continuing offence with further fine which may extend to one thousand rupees for every day during which the offence continues after conviction for the first offence, and such property of unauthorized development may be forfeited”.</p> | <p>Amendment of section 36.</p> |
| 7. | <p>For sub-section (1) and clause (a) of section-37 of the Principal Adhiniyam, the following sub-section (1) and clause (a) shall be substituted, namely :—</p> <p>(1) Where any development has been carried out as indicated in Section-36 Director may serve on the owner a notice requiring him, within such period being not less than one week and not more than three week from the date of service of notice, as may be specified therein;</p> <p>(a) in cases specified in clause (a) or (c) of Section-36 to stop illegal development of the land and to restore the land to its condition existing before the said development took place;</p> | <p>Amendment of section 37.</p> |

8. For sub-section (5) of section-37 of the Principal Adhiniyam, the following sub-section shall be substituted, namely :—

(5) If the permission applied for, on depositing the compounding fees prescribed by the State Government by issuing notification from time to time, is granted, the notice shall stand withdrawn; but if not granted, the notice shall stand; or if such permission is granted for the retention only of some buildings or works, or for the continuance of use of only a part of the land or of development of land, the notice shall stand withdrawn in respect of such buildings or works or such part of the land, as the case may be; and thereupon the owner shall be required to take steps specified in the notice under sub-section (1) in respect of such other buildings, works or part of the land.

9. For sub-section (7) of section-37 of the Principal Adhiniyam, the following sub-section shall be substituted, namely :—

(7) Any person prosecuted under clause (a) of sub-section (6) shall, on conviction, be punished with simple imprisonment for a term which may extend to six months or with fine of minimum ten thousand rupees or with both, and in the case of a continuing offence with further fine which may extend to one thousand rupees for every day during which the offence continues after conviction for the first offence.

Amendment
section -50.

10. For sub-section (5) of section-50 of the Principal Adhiniyam, the following sub-section shall be substituted, namely :—

(5) Where the town development scheme relates to reconstitution of plots, the Town and Country Development Authority shall, notwithstanding anything contained in sub-section (4), constitute a committee consisting of the Chief Executive Officer of the said Authority and two other members of whom one shall be representative of the District Collector, not below the rank of Deputy Collector and the other shall be an officer of the Town & Country Planning Department not below the rank of Deputy Director nominated by the Director of Town & Country Planning for the purpose of hearing objections and suggestions received under sub-section (3).

11. After sub-section (7) of section-50 of the Principal Adhiniyam, the following sub-section shall be inserted, namely :—

(8) (i) Where a town development scheme has come into operation, all lands required by the Town & Country Development Authority for the purposes specified in following clauses :—

(a) Layout of new streets or roads, construction, diversion, extension, alteration, improvement and closing up of streets and roads and discontinuance of communications, etc.

(b) Drainage, inclusive of sewerage, surface or sub-soil drainage and sewage disposal;

(c) Lighting ;

(d) Water supply;

Shall vest absolutely in the Town and Country Development Authority free from all encumbrances.

(ii) Nothing in sub-section (i) shall affect any right of the owner of the land vesting in the appropriate authority under that sub-section.